न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 02/2022 रसद

भुजपाल पुत्र प्रहलाद मीना निवासी ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2020 के अंतर्गत

उपस्थित—1. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 17.08.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.10.2020 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा जिला दौरा राज0 का उचित मूल्य दुकानदार है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 209/2007 है। अपीलांट बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता आ रहा है। अपीलांट का ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा के निर्वाचन में सरपंच पद पर निर्वाचन हो जाने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक महवा की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 के आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को बिना कारण बताओ नोटिस दिये ही एवं अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही अपीलांट के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए दिनांक 27.10.2020 को निरस्त कर दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 3.2.2021 को अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा [illegible] 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 एवं प्रदत्त शक्तियों का [illegible] करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश, 19[illegible] के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से [illegible] जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा के सरपंच पद पर निर्वाचित हो जाने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:14 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...2 पर

निरस्त कर दिया, जबकि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 की धारा 8 (2) के प्रावधानों के तहत सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वर्तमान में केवल मात्र प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 3.2.2021 के प्रभाव में आने पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार उचित मूल्य की दुकान है जिस पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है। अपीलांट के उपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप नहीं है। अपीलांट के प्राधिकार पत्र को मात्र ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर निर्वाचन होने के आधार पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक के आधार पर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निरस्त कर दिया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। कोरोना महामारी कोविड 19 के मध्यनजर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 24.3.2020 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार दिनांक 31.12.2021 तक मियाद अवधि में छूट प्रदान की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र तत्काल बहाल किया जाकर रसद सामग्री के वितरण आदेश पारित करावें।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक महवा के द्वारा दिनांक 14.10.2020 को जिला रसद कार्यालय दौसा में रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री भुजपाल मीना सरपंच पद पर निर्वाचित हुए है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) तथा खाद्य विभाग के आदेश क्रमांकःएफ97(26) खा.वि./स्वा.वि.प्र./2000 दिनांक 25 मई 2005 के आधार पर कोई उचित मूल्य दुकानदार किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाता है तो वह उचित मूल्य दुकानदार बना नहीं रह सकता है। प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को रिपोर्ट प्रस्तुत कर उचित मूल्य दुकानदार श्री भुजपाल मीना का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.10.2020 को निरस्त किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 3.2.2021 को अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:14 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने हेतु निवेदन किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांक:5458 दिनांक 16.3.2021 के द्वारा अतिरक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से इस बाबत मार्गदर्शन चाहा गया। खाद्य विभाग से इस बाबत दिनांक 24.3.2021 को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि "विभागीय अधिसूचना दिनांक 3.2.2021 जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी होगी तथा इससे पूर्व विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.2.1998 ही प्रभावी थी। अतः उक्त अधिसूचना की अनुपालना में निरस्त एवं निलंबित की गई उचित मूल्य दुकानों का प्राधिकार पत्र नियमानुसार बहाल नहीं किया जा सकता।" उक्त मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भुजपाल मीना उचित मूल्य दुकानदार को ग्राम पंचायत धौलखेडा तहसील महवा में सरपंच के पद पर निर्वाचन होने से जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.10.2020 के द्वारा निरस्त कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश् 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) तथा खाद्य विभाग के आदेश क्रमांकः एफ97(26) खा.वि./स्वा.वि.प्र./2000 दिनांक 25 मई 2005 के आधार पर कोई उचित मूल्य दुकानदार किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाता है तो वह उचित मूल्य दुकानदार बना नहीं रह सकता है। उक्त प्रावधान के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 3.2.2021 को अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 3.2.2021 को जारी की गई जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। अपीलांट द्वारा उक्त अधिसूचना के आधार पर जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने हेतु निवेदन किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांकः 5458 दिनांक 16.3.2021 के द्वारा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से इस बाबत मार्गदर्शन चाहा गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान से इस बाबत दिनांक 24.3.2021 को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि "विभागीय अधिसूचना दिनांक 3.2.2021 जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी होगी तथा इससे पूर्व विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.2.1998 ही प्रभावी थी। अतः उक्त अधिसूचना की अनुपालना में निरस्त एवं निलंबित की गई उचित मूल्य दुकानों का प्राधिकार पत्र नियमानुसार बहाल नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करते समय विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.2.1998 के प्रभावी थी। विभागीय अधिसूचना दिनांक 3.2.2021 जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.2.1998 के प्रावधानों के अनुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:14 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

अपील सं0 2/2022 रसद

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2020 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:14 IST
Reason: SelfAttested